


फर्द अहकाम

सीताराम बनाम ओमप्रकाश

आयालय

ख्या 150/2017 कावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२२/२०१७	<p>पञ्जवली प्रस्तुत। अधिवक्ता वारी उपस्थित। वारी के रिपोर्ट पर खस हेतु संपन्न चला। आ.ता.पेशी पर खस नहीं करे पर गुणावगुण के आधा पर निर्णय किया जावेगा। पञ्जवली वास्ते खस रिपोर्ट हेतु डिग्री 30/11/15 को पेश है।</p>	
30/२०१७	<p>पञ्जवली प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर खस सुनि गरी (तहसील पाट समपुरा-गवड़ी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सम्पूर्ण आराजीपात पर कोलोनी विकसित हो गई है अर्थात् आराजी मौके पर कृषि भूमि ना होकर अकृषि उपयोग होने के कारण कुरियात बताना संभव नहीं है। पूरे सम्पूर्ण भूमि पर शिवाभीय कोलोनी विकसित हो चुकी है तथा छी आराजी कृषि भूमि ना होकर अकृषि उपयोग में है। अब इस पञ्जवली का औचित्य शेष नहीं रह जाता है। आराजी गैरकृषि उपयोग व मौके पर कोलोनी विकसित होने के कारण वही वारी खारिज किया जाता है पञ्जवली फिसल शुकाट होकर दारिद्वल फल हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>  <p>सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>

फर्द
आ.
खस
आधा पर
निर्णय
पेशी
खस
डिग्री
कलक्टर
जयपुर